सीएनजी-पीएनजी को बढ़ावे के लिए नई नीति

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सीएनजी और पीएनजी के उपयोग व निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सिटी गैस वितरण नीति-2025 लाने की तैयारी है। इसके तहत इस क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को राहत दी जाएगी।

सिटी गैस वितरण नीति में शहरों में सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले प्रावधान होंगे। इसके लिए वाहनों की खरीद पर कुछ छूट दी जाएगी।

औद्योगिक विकास विभाग ने हाल में सीएनजी-पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनियों से उनके सुझाव लिए हैं। इन्हें प्रस्तावित नई नीति में रखा जाएगा। कंपनियों को अपनी परियोजना लगाने के लिए जमीन आसानी से दिलाई जाएगी।

- परियोजना लगाने के लिए मिलेगी सस्ती जमीन
- सीएनजी वाहनों की खरीद में मिलेगी छूट

हाल में आई मध्य प्रदेश सरकार की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का अध्ययन किया गया है। उक्त नीति में सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करने प्रावधान है। यह छूट आजीवन होगी। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के आने से वाहनों की संख्या निकट भविष्य में और बढ़ेगी। प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। निवेशकों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र के जरिए दी जाएंगी।

पीएनजी लाइन बिछाने के लिए नियम होंगे आसान

प्रस्तावित नीति में पीएनजी लाइनों को बिछाने की प्रक्रिया को सरल व बाधारहित किया जाएगा। मौजूदा समय में सरकार की योजना हर शहर में पीएनजी लाइन बिछाने की है। मगर कई बार कंपनियों को पीएनजी लाइन बिछाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए नीति में लाइन बिछाने की अनुमति के लिए एक समय सीमा तय होगी। इसी अवधि में अनुमति दिया जाना अनिवार्य होगा। पीएनजी लाइन संयंत्र लगाने के लिए कंपनियों को कम दर पर जमीन की व्यवस्था होगी।